राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर के तहत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवाऐं लेने हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र

मूल्यः 100/— रुपये

अवधिः 1 वर्ष

निविदा प्रस्तुत करने की दिनांक **25.09.2008** को अपरान्ह **2.30** बजे

निविदा खोलने की दिनांक **25.09.2008** को अपरान्ह **3.00** बजे

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट
ग्राउण्ड फ्लोर, आर.एच.एस.डी.पी. भवन, तिलक मार्ग, सी—स्कीम,
जयपुर

राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट
आर.एच.एस.डी.पी. परियोजना के तहत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की सेवाऐं लेने हेतु निविदा व संविदा की शर्तें

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशानुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके लिफाफें के कौने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता लिखेंगे।

2. निविदाएं उन पंजीबद्ध फर्मो (उधोग विभाग/सहकारिता विभाग/श्रम विभाग से पंजीबद्ध हो तथा उनके कार्यो/उद्दश्यों में ऐसा अंकित हो) द्वारा ही दी जानी चाहिए जो अनुबंधित कार्मिकों के राजकीय कार्यालय व संस्थाओं में कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखते हो तथा इस हेतु विभाग अथवा संस्थान से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुभवी फर्मो को प्राथमिकता दी जावेगी।

3. निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरो में पेन/स्याही से ही भरी जाये । किसी भी प्रकार की कांट–छाट या ओवर राईटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा वाली समिति ऐसी कांट–छाट ओवर राईटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।निविदा में दरों की रेट वेलिडिटी तीन माह हेतु होगी।

4. सेवाओं हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले व्यक्तियों एवं कम्प्यूटर को निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी. अथवा उनके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्यालय में स्थापित करना होगा एवं उनके द्वारा दिये जाने वाली सेवा/संबंधित कार्य करना होगा।

5. जो भी व्यक्ति लगाये जायेंगें, उन्हें राज्य परियोजना क्रियान्वयन इकाई, आर.एच.एस.डी.पी. के कार्यालय में प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होना होगा एवं सांयः 6.30 बजे तक रूकना होगा।

6. यदि सेवा– संबंधित कार्य की उक्त समय से पूर्व/पश्चात् अथवा राजपत्रित अवकाश के दिन आवश्यकता पडती है, तो उक्त व्यक्ति/व्यक्तियों को तदानुसार उपस्थित होकर सेवा प्रदान करनी होगी। इसके लिये विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो निदेशक आर.एच.एस.डी.पी. या उसके निर्दिष्ट अधिकारी के निर्देश पर सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को तत्काल उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति उपलब्ध कराना होगा।

8. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को उपलब्ध कराई गई सेवाओं का बिल प्रत्येक माह की 7 तारीख तक परियोजना निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

9. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

10. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों को परिश्रमिक राशि का भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्था को ही किया जावेगा। भुगतान के संबंध में इस कार्यालय का सेवा व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं होगा।

11. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय पर व्यक्तियों के उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में, उनुपस्थित दिनों का वेतन अनुपातिक रूप से काट लिया जायेगा, विशेष परिस्थितियों में यदि अन्यत्र कही से व्यक्तियों को लेकर कार्य करवाया जाता है तो इस हेतु किये गये अधिक भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

12. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाये तो उसे उपस्थित होना होगा।

13. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था की होगी।

14. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

15. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था को उपलब्ध कराई गई सेवाओं को बिल प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह तक परियोजना निदेशक के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

16. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों को भुगतान का दायित्व सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था का होगा लेकिन कार्मिको का भुगतान परियोजना मुख्यालय में आकर प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में करना होगा।

17. संविदा सेवाएं निर्धारित योग्यता एवं अनुभव सहित उक्त 10 पदों हेतु 30 प्रार्थी (प्रत्येक पद हेतु तीन का पैनल) एवं उनकी योग्यताओं का विवरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होगें। जिन व्यक्तियों हेतु विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जायेगी उन व्यक्तियों की सेवाएँ ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

18. टी.डी.एस. सरचार्ज तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले अन्य कर मासिक बिल में काटकर नियमानुसार जमा करे जायेंगे तथा जिसकी रसीद निर्धारित प्रपत्र में विभाग द्वारा, निविदाकर्ता को दी जायेगी।

19. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा विभाग को लिखीत में दी जावेगी किन्तु इन परिस्थितियों में भी विभाग से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना को दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।

20. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथ अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेगें कि निविदाकार ने सभी शर्तो को पढ लिया है एवं समझ लिया है। अतः निविदाकार को चाहिए कि सभी शर्तो को पढकर समझ ले। यदि किसी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में विभाग के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते है।

21. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तो के विपरीत अंकित की कई कोई भी अतिरिक्त शर्त विभाग को मान्य नही होगी। निविदा में दरों के साथ कोई भी शर्तो को मान्यता नहीं दी जावेगी।

22. अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रेक्ट वह किसी अन्य एजेन्सी अथवा फर्म को नही सौंप सकेगा अर्थात सबलेट नहीं कर सकेगा।

23. अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा संतोषजनक सेवाएँ होने पर आगामी एक वर्ष के लिए अभिवृद्धि की जा सकती है।

24. विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।

25. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बयाना राशि (अग्रिम राशि) के रूप में 14400/– रूपये की राशि परियोजना निदेशक, राजस्थान हैल्थ सिस्टिम डवलपमेंट प्रोजेक्ट, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगीं। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति मुं यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी। तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि विभाग द्वारा लौटा दी जावेगी।

26. बयाना (अग्रिम राशि) राशि का समपहरण निम्न स्थितियों में किया जा सकेगा ।

    1. जब निविदादाता निविदा खोले जाने पश्चात् किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को (मोडिफिकेशन) उपरान्त कर देता है।

    2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।

    3. जब आदेश उिए जाने के पश्चात्नियम समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।

4. जब निर्धारित समय में अनुबन्धित कार्मिको की सेवाओं की व्यवस्था प्रारम्भकरने में विफल रहता है।

27. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 100/— रू. का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पडेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को निविदा राशि का 5 प्रतिशत बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में परियोजना निदेशक राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट, जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी पडेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादक होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर दो माह उपरान्त वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य संन्तोषप्रद होने की दशा में दोनां पक्षों की सहमति से अनुबंध एक वर्ष बढाया जा सकता है।

28. प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण किया जा सकता हैः—

(अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तो को भंग किया जाता है।

(ब) जब निविदादाता सन्तोषप्रद रूप से सेवयें देने में विफल रहता है।

(स) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। समय के संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

29. करार के पूर्ण किए जाने तथा स्टाम्प पेपर का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जाएगा और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

30. ठेकेदार द्वारा दी जा रही अनुबंधित कार्मिकों की व्यवस्था विभाग की अपेक्षा अनुरूप संतोषजनक न होने की स्थिति में विभाग को यह पूर्ण अधिकार होगा किवह इस अनुबंध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।

31. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी. का निर्णय अन्तिम होगा।

32. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (इस विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

33. निविदादाता निविदा के साथ आवश्यक रूप से संबंधित विभाग का रजिस्ट्रेशन/अधिकृत प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करेगें।

34. अनुबंधित कार्मिको की पी.एफ./ई.एस.आई. काटौती की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

35. कार्मिको से कराये जाने वाले कार्य, योग्यता एवं Computer With Accessories का विवरण Annexure "A" पर संलग्न है।

36. लेजर प्रिंटर जो कार्यालय उपयोग में लिया जायेगा, का कार्टेज का टोनर कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

37. निविदाएं सीलबंन्द लिफाफे में दिनांक 25.09.2008 को अपरान्ह् 2.30 बजे तक, या इससे पूर्व कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

38. निविदाएं क्रय समिति के समक्ष अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 25.09.2008 को अपरान्ह् 3.00 बजे खोली जावेंगी। जिसमें निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

39. कम्प्यूटर उपकरणों को कमेशा चालू हालत में रखा जायेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने की संभावना होगी तो निविदाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

40. स्थापित किये जाने सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए।

41. कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर के अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।

42. यदि कम्प्यूटर सिस्टम इस विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा।

43. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फीटिंग की व्यवस्था इस विभाग द्वारा की जायेगी। विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेगा कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।

44. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी इस विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।

45. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। किसी भी माह में चार कार्य

दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 200/- रूपये की कटौती की जावेगी।

46. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अंग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

47. भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डलवपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर
आर.एच.एस.डी.पी. भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

विषयः डाटा एन्ट्री विद् कम्प्यूअर की सेवायें हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पताः–

....

....

(टेलीफोन अवश्य अंकित करें)

2. संदर्भः–निविदा सूचना संख्या कमांक प–1(58)/आर.एच.एस.डी.पी./2008/5373 दिनांक 12.09.2008

3. निविदा शुल्क की रकम राशि रुपये 100/– (एस सौ रुपये) रोकड़ रसीद संख्या .... दिनांक .... द्वारा संस्थान में जमा करा दी गई है।

4. निविदा सूचना संख्या कमांक प–1(58)/आर.एच.एस.डी.पी./एस.पी.सी./2008/........... दिनांक .... जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई है, मैं/हम वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई हैं, जिसे समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

5. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार राशि रुपये .... (अक्षरे रुपये .... मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .... दिनांक .... बैंक का नाम .... को परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी., जयपुर के पक्ष में देय है, संलग्न है।

6. हम अपनी न्यूनतम दर संलग्न 'दो' में अंकित करते हैं।

7. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की ? ....

8. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम एवं पता ....
....

9. साझेदारी की स्थित में साझेदारी के नाम पते ....
....

10. निविदा प्रपत्र एवं संलग्न '2' पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम व पता तथा उसकी फर्म में स्थिति–

....

....

11. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई भविष्य में पत्र व्यवहार करे तो उस व्यक्ति का नाम व पता एवं हस्ताक्षर तथा उसी फर्म में स्थिति अंकित करें।

....

....

12. दूरभाष नं. ....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर व पता सहित

राजस्थान हैल्थ सिस्टम्स डलवपमेन्ट प्रोजेक्ट, जयपुर
आर.एच.एस.डी.पी. भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

सेवा शुल्क दर प्रपत्र

फर्म / संस्था का नाम व पता ....

कार्य का नामः पियोन हेतु अनुबंधित कार्मिकों की सेवाओं के लिये सेवा शुल्क दर।

दर का विवरण

क.सं.	आपूर्ति की जाने वाली सेवा का नाम	पद संख्या	सेवा का विवरण पद नाम	न्यूनतम योग्यता	अधिकतम अनुज्ञेय मासिक दर प्रति	सेवा शुल्क की दर (दर प्रतिशत में देवें तथा शब्दों में एवं अंकों में अंकित करें।)
1	कम्प्यूटर सेवाऐं	10	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (मशीन सहित)	As per Annexure-A	6000 / –	

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित

An Outline of the taks to be carried out by the Data Entry Operator

1. Entry of Data (Minimum 400 rocords each of 125 characters per day)
2. Validation of Data.
3. Backups
4. Knowldege of MS-Office, Power Point, Funamental Knowledge of Internet Operation.
5. Typing speed in HIndi 30 WPm & English 40 WPM
6. Keeping files up to date, releasing, re-documenting files as necessary
7. Responsibility for the security of all files.
8. Other works as and when assigned by the Controlling Officer/PD

Qualification & Experience:

The Data Entry Operator should be a Graduate any discipline. One year experience of the similar work.

The DEO works directly under the close supervision of the concerned Officers of PIU.

Computer with Accessories

Pentium Based Computer System (p-IV) with following Configuration

@ 1.8 Ghz above processor speed
128 MB RAM
40 GB Hard Disk
15 " SVGA Mono or color Monitor
1.44 MB fixed Disk Drive
Internal CD-ROM Drive 52x or Higher
101 Keys Keyboard, Mouse
100 MBPS network Card
2 Serial and one parallel port
CVT 0.5 KVA
MODEM 56 KBPS
Laser Printer